कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 3107 /14–1,दिनांक,अमरोहा,मई 24 2022,

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :– जनपद अमरोहा, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विधुत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विधुत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या 2505/11–सी FP/UP/TRANS/148929/2021 दिनांक 02.03.2022

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विधुत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विधुत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित प्रस्ताव पर आपके द्वारा की गई आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार कर दिया गया है :–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची संलग्न नहीं है। अतः ऑनलाइन पार्ट–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित सूची संलग्न करें।	प्रस्ताव के साथ प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन पार्ट–2 के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम एवं सारांश सहित संलग्न कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न करें।	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (मुख्यतः औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण सहित प्राक्कलन पत्र के साथ संलग्न कर दिया गया है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1.50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है किन्तु टोपोशीट मूल में सूक्ष्म है। अतः प्रस्तावित वनभूमि की टोपोशीट मूल में फुल साइज की प्रस्ताव में संलग्न करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1.50000 माप का रंगीन मानचित्र, टोपोशीट मूल में फुल साइज की प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
4	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गयी है। अतः मार्ग चिन्हित कर सत्यापित गजट नोटिफिकेशन प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	गजट नोटिफिकेशन में मार्ग चिन्हित कर सत्यापित प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न कर दी गयी है।
5	प्रस्ताव के साथ पेनड्राईव में प्रमाण पत्र/वचनबद्वता प्रमाण पत्र अलग–अलग अपलोड किये गये है जो सही नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्रों/वचनबद्वता प्रमाण पत्रों को प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में PDF फाईल अपलोड कर तीनों प्रस्ताव के साथ पेन ड्राईव संलग्न करें।	प्रस्ताव के साथ पेनड्राईव में प्रमाण पत्र/वचनबद्वता प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में PDF फाईल अपलोड कर तीनों प्रस्ताव के साथ पेन ड्राईव संलग्न की जा रही है।

अतः भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव की 04 प्रतियां संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।